

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिगारिया बनाम श्रीवत्सल शिवा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 45/2017

निर्णय दिनांक :- 26/11/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम वमनपुरा की आ.ख.न. 461 कुल रकबा 1.57 किस्म जमीन शामु में से 0.01 रकबे पर श्री श्रीवत्सल शिवा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर श्रीवत्सल शिवा कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिगारिया द्वारा दिनांक 29/11/17 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. बडोदाका के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी श्रीवत्सल शिवा जाति शामु निवासी वमनपुरा को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी श्रीवत्सल शिवा उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 161 रकबा 1.57 में से 0.01 रकबे किस्म शामु तमई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिडाजा वैरसायस को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 paise का 50 गुणा 31 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिगारिया भू.अ.निरी. बडोदाका को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/17

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)